न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
न्यायालय वाद संख्या सी0आर0एम0–22/2012–13
कुसुम देवी बनाम सरकार

Annexure-14

Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
19-12-2013	यह अपील कुसुम देवी जौजे स्व0 सुर्यनारायण तिवारी ग्राम शास्त्रीनगर थाना–बगहा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के दिनांक 26.02.2011 के उस आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा ज0वि0प्र0 की अनुज्ञप्ति संख्या–10/2008 को रद् कर दिया गया है। आवेदिका पर निम्नांकित आरोप लगाये गये है :– 1. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा दिनांक 17.02.2011 कोश्रीमति कुसुम देवी ज0वि0प्र0 विक्रेता ग्राम पंचायत राज रामपुर के दुकान की छापामारी की गयी। छापामारी के क्रम में उनकी दुकान बंद पायी गयी। दूरभाष पर सूचना दिय जाने के उपरांत विक्रेता द्वारा उपस्थित नही होने पर उनके दुकान/गोदाम का ताला तोड़कर भंडारित किये गये चावल/गेहू का सत्यापन किया गया। 2. छापामारी के क्रम में भंडार से ए0पी0एल0 योजना के तहत 45.13 क्विंटल, गेहूँ एवं वी0पी0एल0 योजना के तहत 15.53 क्विंटल नही पाया गया। तत्पश्चात उनकी दुकान/भंडार को सील कर दिया गया। 3. विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होनें स्पष्टीकरण समर्पित किया जिसकी कंडिका–02 में इन्होनें गाड़ी खराब होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, के द्वारा छापामारी के बाद अनाज पहुँचने की बात कही गयी है।	

4. छापामारी के क्रम में विक्रेता के पति को दूरभाष पर सूचित करने पर उनके द्वारा बतलाया गया कि कवे किरासन तेल उठाव करने हेतु थोक विक्रेता के पास उपस्थित थें।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने अपने आदेश में लिखा है कि उठाव के उपरांत एक गाड़ी खराब होने संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी को छापामारी के क्रम में उनके पति के द्वारा उपस्थित होने पर इसकी सूचना नही दी गयी। सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा दिनांक 16.02.2011 को विक्रेता द्वारा दो ट्रेक्टर खाद्यान्न लेकर जाने की पुष्टि की गयी। अतः विक्रेता द्वारा दिनांक 16.02.2011 को उठाव के उपरांत ही एक ट्रेक्टर पर लदे लगभग 61 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर बेच दिया गया तथा छापामारी के उपरांत विक्रेता से मांगे गये दिनांक 17.02.2011 को स्पष्टीकरण की बीच की अवधि में तथ्य को छुपाने हेतु गोदाम के बगल वाले घर में खाद्यान्न रखा गया था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उस दुकान का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि विक्रेता के पास मात्र एक पक्का गोदाम है तथा उसके आगे इनकी फूस की झोपड़ी थी जो किसी भी स्थिति में अनाज का भंडारण करने हेतु उपयुक्त नही है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा पाये गये तथ्यों में विरोधाभाष है। छापामारी के क्रम में इनके भण्डार पंजी में माह फरवरी के खाद्यान्न के उठाव की प्रविष्टि नही की गयी है। जबकि सहायक प्रबंधक बगहा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा वी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 योजना के तहत खाद्यान्न का उठाव किया गया था। छापामारी के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा वितरण पंजी एवं कूपन की मांग की गयी तो विक्रेता के पति एवं पुत्र द्वारा बताया गया कि सभी कागजात इनके आवास पर है। जिसे अनुमंडल पदाधिकारी ने नियम के प्रतिकुल बताया है। विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने एवं अन्य अनियमितता के आलोक में अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है।

विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में

अनुमंडल पदाधिकारी,बगहा केआदेश दिनांक 26.02.2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–6535/2011 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 19.09.2012 को आदेश पारित किया गया कि अगर अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जाता है तो अपीलीय न्यायालय तथ्यों के आधार पर अपील का निष्पादन करें।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के आलोक में यह अपील वाद दायर किया गया। अपीलकर्ता द्वारा कहा गया है कि उनकी तबियत खराब हो जाने के कारण उनके पति उन्हें डाक्टर के पास ले गये थें। जिसके कारण छापेमारी के समय उनके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नही था। यह भी कहा गया है कि वे सहायक गोदाम प्रबंधक बगहा–2 से खाद्यान्न का उठाव करने के क्रम में शाम के 6.00 बज गये थे। और उस समय काफी बर्षा हो रही थी उस दिन उनके दो टेलर पर खाद्यान्न रखा गया था लेकिन एक ट्रेलर का टाली खराब हो गयी थी। इस तरह अपीलकर्ता का कहना है कि दिनांक 16.02.2011 को उठाये गये खाद्यान्न शतप्रतिशत उनके दुकान का था। इस तरह अपीलकर्ता ने अपने उपर लगाये गये उपरोक्त आरोप को निराधार बताने का प्रयास किया है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दु उठाये गये है :–

(क) अपीलकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा उनके द्वारा दाखिल किये गये कारण पृच्छा पर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर नही दिया गया एवं दावे के संबधं में साक्ष्य दाखिल करने हेतु भी अवसर नही दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु पर अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि दिनांक 17.02.2011 को प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलकर्ता के जन वितरण प्रणाली की दुकान की छापेमारी की क्रम में उनकी दुकान बंद पायी गयी।

दूरभाष पर सूचना दिये जाने के उपरांत विक्रेता द्वारा उपस्थित नही होने पर उनकी दुकान/गोदाम का ताला तोड़कर भंडारित किये गये चावल/गेहूँ का सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में अपीलकर्ता के पति एवं पुत्र उपस्थित हुए छापेमारी के क्रम में भंडार से ए0पी0एल0 योजना के तहत 45.13क्विंटल गेहूँ एवं वी0पी0एल0 योजना के तहत 15.53 क्विंटल खाद्यान्न नही पाया गया। उपस्थित विक्रेता के पति एवं पुत्र द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का उत्तर नही दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपीलकर्ता से दिनांक 17.02.2011 को स्पष्टीकरण की मांग की गयी लेकिन उनके द्वारा दिनांक 26.02.2011 को जिसकी कंडिका–02 में गाड़ी खराब होने के कारण छापेमारी के बाद अनाज पहूँचने की बात कही गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेंख किया गया है कि विक्रेता की दुकान प्रत्येक दिन प्रातः 8.00 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक खोला जाना है। विशेष परिस्थिति में नही खोले जाने के संबंध में इसकी सूचना स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी जानी है। परंतु विक्रेता द्वारा दिनांक 17.02.2011 को 10.30 बजे पूर्वाह्न तक दुकान नही खोला गया और न ही इसकी सूचना दी गयी।

छापेमारी के क्रम में विक्रेता के पति को दूरभाष पर सूचित करने पर उनके द्वारा बतलाया गया कि वे किरासन तेल का उठाव करने हेतु थोक विक्रेता के पास उपस्थित है, जिसकी पुष्टि थोक विक्रेता द्वारा भी की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपने आदेश में इस संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि छापेमारी के दिन की वास्तविकता एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण भिन्न है। अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के आदेश से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन्होनें अपीलकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद ही आदेश पारित किया है। इस तरह अपीलकर्ता की यह आपति की उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर नही दिया गया सत्य से परे है।

(ख) अपीलकर्ता का कहना है कि गोदाम प्रबंधक से उठाव करने के क्रम में दो ट्रेलर पर खाद्यान्न रखा गया था जिसमें से एक ट्रेलर समय से दुकान पर पहुँच गया लेकिन दुसरे ट्रेक्टर की ट्रोली खराब हो गयी थी

जिसके कारण दुसरा ट्रेक्टर देर से पहुँचा।

अपीलकर्ता के इस आरोप के संबधं में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बगहा गोदाम से दुकान की दूरी लगभग 10किलोमिटर है। ऐसी परिस्थिति में खाद्यान्न उठाव के उपरांत एक गाड़ी खराब होने संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी के छापेमारी के क्रम में अपीलकर्ता के पति द्वारा उपस्थित होने पर इसकी सूचना नही दी गयी। नियमानुसार खाद्यान्न को गोदाम से उठाव करने के उपरांत सीधे दुकान में भंडारित किये जाना चाहिए था तथा किसी भी अन्य परिस्थिति में स्थानीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जानी थी परंतु इस मामलें में ऐसी कोई सूचना दिनांक 16.02.2011 को नही दी गयी और न ही दिनांक 17.02.2011 को छापेमारी के क्रम में अपीलकर्ता के पति एवं पुत्र के द्वारा ही बताया गया जबकि गोदाम से दुकान जाने का एक मात्र साधन सड़क है तथा छापेमारी के दौरान दिनांक 17.02.2011 को ऐसा कोई ट्रेक्टर गोदाम से दुकान तक सड़क में नही पाया गया और न ही अपीलकर्ता के पति एवं पुत्र द्वारा छापेमारी के उपरांत लौटने के क्रम में उसे गया।

सहायक गोदाम प्रबंधक दिनांक 16.02.2011 को विक्रेता द्वारा दो ट्रेक्टर खाद्यान्न लेकर जाने की पुष्टि की गयी। इसके संबधं में अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा दिनांक 16.02.2011 को उठाव के उपरांत ही एक ट्रेक्टर पर लदे लगभग 61क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर बेच दिया गया तथा छापेमारी के उपरांत विक्रेता से मांगे गये दिनांक 17.02.2011 को स्पष्टीकरण की बीच की अवधि में तथ्यों को छुपाने हेतु स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि गोदाम के बगल वाले घर में खाद्यान्न रखा गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा छापेमारी के क्रम में पाया गया कि विक्रेता के पास मात्र एक पक्का गोदाम है तथा उसके आगे इनकी फुस की झोपड़ी थी जो किसी भी स्थिति में अनाज के भंडारन हेतु उपर्युक्त नही है। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा पाया गया है कि जानबुझकर कालाबाजारी की नियत से एक ट्रेक्टर खाद्यान्न को बेच दिया गया है। इस तरह से अपीलकर्ता के द्वारा लगाये गया दूसरा आरोप सत्य से परे है।

(ग) अपीलकर्ता का कहना है कि बी0पी0 बढ़ने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गयी थी जिसका ईलाज कराने हेतु उनके पति स्थानीय चिकित्सक डा0 सी0एच0 रिंह बगहा–2 के क्लिनिक में भर्ती कराये थें और इनके परिवार के सदस्य भी डा0 के क्लिनिक में थें जिसके कारण दुकान नही खोली गयी और भंडार पंजी एवं खाद्यान्न का मूल्य बोर्ड पर नही लिखा गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बिक्रेता की दुकान प्रत्येक दिन प्रातः 08.00 बजे से 02.00 बजे अप0 तक खोला जाना है। विशेष परिस्थिति में नहीं खोले जाने के संबंध में इसकी सूचना स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी जानी है, परंतु बिक्रेता द्वारा दिनांक 17.02.2011 को 10.30 बजे पूर्वा0 तक दुकान नहीं खोला गया और न ही इसकी सूचना दी गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि छापेमारी में बिक्रेता के पति को दूरभाष से सूचित करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि वे किरासन तेल का उठाव करने हेतु थोक बिक्रेता के पास उपस्थित हैं जिसकी पुष्टि थोक बिक्रेता के द्वारा भी की गयी है। जबकि अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उन्हे क्लिनिक में होना बताया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि छापेमारी के दिन की वास्तविकता एवं अपीलकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण भिन्न है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा जानबुझकर कालाबाजारी की नियत से खाद्यान्न को भंडार पंजी में दर्ज नहीं किया था। छापेमारी के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से वितरण पंजी एवं कूपन की मांग की गयी तो विक्रेता के पति एवं पुत्र द्वारा बताया गया कि सभी कागजात उनके आवास पर है जो नियमों के प्रतिकुल है। अपीलकर्ता द्वारा तबियत खराब होने का बहाना बनाकर समय पर दुकान न खोलने, खाद्यान्न को भंडार पंजी में दर्ज न करने एवं खाद्यान्न का मूल्य बोर्ड पर न लिखकर अनियमित कार्य किया गया है, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से पाया है कि बिक्रेता द्वारा दिनांक

16.02.2011 को उठाव के उपरांत ही एक ट्रेक्टर पर लदे लगभग 61 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर बेच दिया गया है। अतः अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में उठाई गयी बिंदुओं को प्रमाणित नहीं कर सका है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/1

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

19/1

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।